



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 298 राँची, बुधवार,

24 मई, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

2 मई, 2023

सं0सं0-03/स्था0डी0-01-66/2012-583(3)--बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट, 1916 की धारा 33 द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर झारखण्ड सरकार, झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् के क्रियाकलापों को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ "झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् नियमावली-2023" का गठन निम्नवत् करती है:-

अध्याय -1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(1) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् नियमावली-2023" कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली झारखण्ड राज्य के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(4) यह नियमावली राज्य के सभी एलोपैथिक चिकित्सकों पर लागू होगी।

2. परिभाषाएँ:-

इस नियमावली में जब तक कोई बात संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है “बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट, 1916”।
- (ख) “राज्य” से अभिप्रेत है “झारखण्ड राज्य”।
- (ग) “सरकार” से अभिप्रेत है “झारखण्ड सरकार”।
- (घ) “धारा” से अभिप्रेत है “बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट, 1916” की धारा।
- (ङ) “विभाग” से अभिप्रेत है “स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार”।
- (च) “परिषद” से अभिप्रेत है “झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद”।
- (छ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित ‘अध्यक्ष’।
- (ज) “नियमावली” से अभिप्रेत है “झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली-2022”।
- (झ) नियमावली में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जिन्हें नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में परिभाषित हैं।

अध्याय-2

3. झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद का गठन

बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट, 1916 धारा 4 के अनुसार यह परिषद 10 सदस्यों से मिलकर बनेगी जो निम्नवत होगी:-

- (क) झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य।
- (ख) डीन, रांची विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय।
- (ग) डीन, बिनोवा भावे विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय।
- (घ) राज्य अन्तर्गत निवास करने वाले निबंधित चिकित्सकों द्वारा निर्वाचित एक महिला सदस्य।
- (ङ.) राज्य में निवास करने वाले निबंधित चिकित्सकों द्वारा निर्वाचित दो सदस्य।
- (च) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के झारखण्ड शाखा द्वारा निर्वाचित दो सदस्य।

4. परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन:-

परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन परिषद् के सदस्यों द्वारा परिषद् के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उस अवधि के लिए किया जाएगा, जितनी अवधि के लिए सदस्यों का निर्वाचन हुआ है।

अध्यक्ष का पद धारण करने वाले सदस्य को विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान परिषद् द्वारा किया जा सकेगा।

परिषद् या उसके अधिकारियों के किसी भी कार्य को केवल इस कारण से अमान्य नहीं माना जाएगा कि परिषद् में कोई रिक्ति है अथवा परिषद् के गठन में कोई त्रुटि है।

5. परिषद् के सदस्यों के विवरण का संधारण:-

इस नियमावली के परिशिष्ट में दिए गए फार्म सख्या-1 में एक पंजी का संधारण किया जाएगा। इस पंजी में परिषद् के लिए नियुक्त, मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्यों का विवरण, नियुक्ति की तारीख एवं जिस अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो एवं उनकी नियुक्ति की समाप्ति की स्थिति में समाप्ति की तारीख और कारण दर्ज किया जाएगा।

6. परिषद् के सदस्यों के रिक्ति की सूचना:-

(1) अधिनियम की धारा 4(1),(क) के अधीन नियुक्त/मनोनीत परिषद् के किसी सदस्य की नियुक्ति/मनोनयन की समाप्ति से 60 दिन पूर्व, परिषद् के निबंधक द्वारा अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाएगा एवं अध्यक्ष द्वारा तत्काल इसकी सूचना विभाग को दिया जाएगा।

(2) त्यागपत्र या मृत्यु से उत्पन्न परिस्थिति एवं अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन यदि कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो परिषद् के निबंधक कि दायित्व होगा की रिक्ति हुए पदों के विषय को अध्यक्ष के संज्ञान में लाए, तथा अध्यक्ष द्वारा तत्काल इसकी सूचना विभाग को दिया जाएगा एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर नई अधिसूचना से यथा शीघ्र रिक्ति को भर दिया जाएगा।

(3) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा परिषद् के सदस्यों के मनोनयन अथवा निर्वाचन की अवधि समाप्त होने अथवा अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में रिक्ति हुए सदस्यों की सूचना विभाग को अधिक से अधिक 60 दिनों के भीतर दिया जा सकेगा एवं विभाग द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया जाएगा कि इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाकर दो माह के भीतर नये चुनाव के द्वारा नये सदस्य के नाम की अनुशंसा का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराए। विभाग द्वारा तदुपरान्त प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड गजट में प्रकाशित कर इस रिक्ति को भरा जा सकेगा।

7. निर्वाचन न हो पाने की स्थिति में सदस्यों का मनोनयन:-

(क) इस नियमावली के नियम 3 के (घ) से (ड.) तक सदस्यों का मनोनयन रिक्ति उत्पन्न होने के छः माह के भीतर चुनाव न हो पाने की स्थिति में विभाग द्वारा की जा सकेगी। विभाग द्वारा मनोनीत ऐसे सदस्यों को माना जाएगा कि वह नियम में विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित हुए हैं।

8. सदस्य निर्वाचित होने की अयोग्यताएं:-

एक व्यक्ति परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित अथवा मनोनीत होने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि-

(क) वह इस एक्ट के तहत निबंधित ना हो।

(ख) किसी न्यायालय द्वारा गैर जमानती अपराध में दंडित हो गया हो और वह दंड विलोपित अथवा बदला गया नहीं हो अथवा इस अयोग्यता को राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश द्वारा निष्प्रभावी घोषित नहीं किया गया हो।

(ग) वह एक अमुक्त दिवालिया हो।

9. सदस्यों का कार्यकाल:-

(1) नियम 3 के अधीन निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल की गणना उनका नाम झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से की जाएगी एवं उसका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। कालावधि तीन वर्ष बाद पुनः नए गठित परिषद की पहली बैठक, जिसमें सदस्यों का कोरम पूरा होगा तक विस्तारित मानी जाएगी।

(2) एक सदस्य पुनः निर्वाचित होने अथवा मनोनीत होने के पात्र होंगे यदि उन्हें नियम 8 के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

10. सदस्यों की अवकाश पर अनुपस्थिति:-

परिषद, अपने किसी सदस्य को परिषद की बैठक में अधिकतम 6 माह तक के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर सकती है।

11. सदस्यता का समाप्त होना:-

एक सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया माना जाएगा यदि-

(क) वह परिषद की लगातार तीन बैठकों में अकारण अनुपस्थित रहता है

अथवा

(ख) वह भारत से लगातार 6 महीने से अधिक अवधि बाहर रहे अथवा

(ग) उसे नियम 8 के तहत निर्वाचन अथवा मनोनयन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो।

12. रिक्तियों का भरा जाना:-

(1) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए अथवा कोई सदस्य सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है अथवा नियम 8 के अधीन सदस्यता समाप्त हो जाती है तो इससे उत्पन्न रिक्ति की सूचना अध्यक्ष द्वारा विभाग को रिक्त पद पर नए सिरे से निर्वाचन अथवा मनोनयन के लिए दिया जाएगा।

(2) इस प्रकार नए सिरे से निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य शेष कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में कार्य कर सकेंगे।

13. सदस्यों को यात्रा व्यय का भुगतान:-

परिषद सदस्यों (पदधारकों सहित) को परिषद की बैठकों इत्यादि में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय इत्यादि का भुगतान झारखण्डसरकार द्वारा निर्धारित दर पर परिषद की अनुमति से किया जा सकेगा। यह यात्रा व्यय परिषद के सदस्यों, परिषद अन्तर्गत नियुक्त समिति के सदस्यों, अन्य नामित अथवा मनोनीत सदस्यों को भी अनुमान्य होगा। इसके लिए यात्रा व्यय हेतु निर्धारित प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अध्याय:-3

(अधिनियम की धारा 4 के खंड (सी) से (डी) एवं इस नियमावली के नियम 3(घ) एवं (इ) के तहत सदस्यों का चुनाव)

14. मतदाता सूची:-

विभाग द्वारा इस खंडों के तहत चुनाव के लिए झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/उप सचिव स्तर के एक पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी एवं अवर सचिव स्तर के एक पदाधिकारी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने निगरानी में झारखण्ड राज्य में पंजीकृत चिकित्सकों के पंजी से सदस्य या सदस्यों के चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्तियों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इस मतदाता सूची में नाम, योग्यता एवं पता दर्ज होगा। इस मतदाता सूची को प्रकाशित कर इसपर आपत्ति प्राप्त कर उसका निस्तारण प्रत्येक मतदान के पूर्व करना आवश्यक होगा।

15. मतदान के तिथियों का प्रकाशन:-

निर्वाची अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4 के खंड (सी) से (डी) के अन्तर्गत रिक्त सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन, चुनाव, मतगणना तथा परिणाम के लिए तिथियों की घोषणा किया जाएगा जो सूचना के माध्यम से कम से कम दो समाचार पत्रों जिसमें से एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र अवश्य हो, में प्रकाशित किया जाएगा। इन तिथियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर इसकी सूचना भी उसी समाचार पत्र के माध्यम से दिया जाना आवश्यक होगा।

16. चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन:-

(1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम पंजीकृत चिकित्सकों की पंजी में शामिल है और जो अधिनियम की धारा 6 के तहत परिषद् के चुनाव के लिए अयोग्य नहीं है, उसे अधिनियम की धारा 4 खंड (सी) या खंड (डी) के तहत चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया जा सकता है।

(2) उम्मीदवार के रूप में नामांकन इन नियमावली परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में दर्शाए गए नामांकन पत्र के माध्यम से किया जा सकेगा। नामांकन के लिए जो भी मतदाता इस प्रपत्र की माँग करेगा उसे यह प्रपत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा रु0 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) के निर्धारित शुल्क जमा किए जाने पर दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक नामांकन पत्र में प्रस्तावक एवं अनुमोदक के रूप में दो निर्वाचकों द्वारा स्वीकारोक्ति दी जाएगी।

(4) प्रत्येक नामांकन पत्र प्राप्त होने पर, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस पर प्राप्ति की तारीख और समय अंकित किया जाएगा।

(5) वैसे नामांकन पत्र, जो निर्वाची पदाधिकारी को इन नियमों के तहत ऐसे कागजात की जांच के लिए निर्धारित तिथि से पहले प्राप्त नहीं होते हैं, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17. चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वापस लेना:-

(1) कोई भी विधिवत नामांकित उम्मीदवार, निर्वाची पदाधिकारी को लिखित और हस्ताक्षरित वापसी भेजकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है, जो इन नियमों के तहत इसके लिए निर्धारित तिथि से पूर्व तक ही मान्य होगा और बाद में उसे इसकी अनुमति नहीं होगी।

(2) ऐसी वापसी की सूचना को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा वापसी के तथ्य सहित निर्देशित तरीके से सूचना के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

18. नामांकन पत्रों की जांच:-

(1) नामांकन पत्रों की जांच के लिए निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि और समय और स्थान पर प्रत्येक उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक और समर्थक उपस्थित हो सकते हैं। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी भी नामांकित उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावक और समर्थक द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उन सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की जांच करने की अनुमति दिया जा सकता है जो उन्हें प्राप्त हुए हैं। किसी नामांकन पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति एवं अतिरिक्त सूचना लिखित रूप में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जा सकते हैं।

(2) निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा समर्पित नामांकन पत्र एवं इसपर प्राप्त आपत्ति पर एवं किसी भी नामांकन की वैधता के बारे में उठने वाले सभी प्रश्नों पर निर्णय लिया जाएगा, और ऐसे किसी भी प्रश्न पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

19. मतदान:-

(1) यदि अधिनियम की धारा 4 के किसी भी खंड के तहत चुनाव के लिए खड़े होने वाले विधिवत नामांकित उम्मीदवारों की संख्या उस खंड के तहत चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं है तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ऐसे उम्मीदवार को निर्वाचित होने की घोषणा किया जाएगा।

(2) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में नामांकित उम्मीदवारों का नाम एवं पता वोटिंग पेपर में इस नियमावली के परिशिष्ट के प्रपत्र-3 में अंकित किया जाएगा।

(3) वोटिंग की कार्यवाही वोटिंग के लिए निर्धारित तिथि को प्रस्तावित स्थल पर जो झारखण्ड राज्य के सभी प्रमण्डलों में निर्धारित बुथ जिसके पीठासीन पदाधिकारी प्रमण्डल के उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी होंगे जिनकी सहायता एक मतदान पदाधिकारी जो प्रमण्डल कार्यालय के प्रधान लिपिक होंगे, की देखरेख में निर्धारित समय के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुसार सम्पन्न करायी जाएगी एवं मतदान समाप्ति के उपरान्त मतदान पेटी को सील कर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्ट्रॉग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा।

(4) वोटिंग पेपर दो प्रतियों में मुद्रित किया जाएगा जिसमें आवश्यक विवरण अंकित करते हुए एक प्रति संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जा सकेगा एवं दुसरी प्रति काउंटरफाईल के रूप में निबंधक के पास सुरक्षित रखी जाएगी।

(5) अपना वोट दर्ज करने का इच्छुक प्रत्येक वोटर वोटिंग के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित होकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहता हो वह वोटिंग की प्रक्रिया में वोटिंग के लिए निर्धारित तरीके से अपना मत दर्ज कर सकेगा। परन्तु वोटिंग के लिए निर्धारित तरीके से वोट दर्ज नहीं करने पर निर्वाची अधिकारी द्वारा वोटिंग पेपर को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

20. मतों की गिनती और चुनाव के परिणामों की घोषणा और प्रकाशन:-

(1) वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने पर निर्वाची अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से वोटों की गणना के लिए प्रथम चरण में वोटिंग पेपर की जांच किया जाएगा कि वोटिंग पेपर सही ढंग से भरे गए हैं या नहीं एवं वोटिंग पेपर पर "स्वीकार्य" अथवा "अस्वीकार्य" अंकित करते हुए प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) निर्वाची अधिकारी द्वारा वैसे वोटिंग पेपर पर "अस्वीकार्य" शब्द का पृष्ठांकन किया जाएगा, जिसे वह इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि यह वोटिंग पेपर पर दिये गए निर्देशों का पालन नहीं करता है।

(3) निर्वाची अधिकारी को मतगणना के लिए निर्धारित तारीख, समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

(4) मतगणना की प्रक्रिया को देखने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकता है अथवा वह अपने प्रतिनिधि को उपस्थित होने के लिए लिखित रूप से अधिकृत कर सकेगा।

(5) निर्वाची अधिकारी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को वोटिंग पेपर दिखा सकता है परन्तु काउंटरफाईल नहीं दिखाएगा।

(6) यदि किसी वोटिंग पेपर पर इस आधार पर कोई आपत्ति की जाती है कि वह इन नियमों के अधीन अमान्य है, या किसी वोटिंग पेपर को निर्वाची अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर ऐसी आपत्ति का निर्णय निर्वाची अधिकारी द्वारा स्वयं के विवेक से किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(7) जब वोटों की गिनती पूरी हो जाती है, तो निर्वाची अधिकारी द्वारा उस उम्मीदवार या उम्मीदवारों को, जैसा भी मामला हो, जिसे सबसे अधिक वोट दिए गए हैं, को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(8) जब किसी उम्मीदवार के बीच वोटों की समानता पाई जाती है और एक वोट जोड़ने से उक्त उम्मीदवार में से कोई भी निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाता है, तो उस व्यक्ति का निर्धारण जिसे ऐसा एक अतिरिक्त वोट दिया गया माना जाएगा इसके लिए निर्वाची अधिकारी द्वारा स्वयं की उपस्थिति में और ऐसी रीति से जैसा वह उचित समझे लॉटरी के माध्यम से किया जा सकेगा।

(9) मतगणना के पूरा होने पर और परिणाम घोषित होने के बाद, निर्वाची अधिकारी वोटिंग पेपर और चुनाव से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों को सील कर देगा और छह महीने की अवधि के लिए इसे अपने पास रखेगा और उसके बाद उन्हें नष्ट किया जा सकता है।

(10) निर्वाची अधिकारी निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम तत्काल झारखंड राजपत्र में प्रकाशन के लिए विभाग को भेजेगा।

(11) निर्वाची अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में ऐसी तारीख और समय एवं स्थान के बारे में सूचना प्रकाशित किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रत्येक कार्यवाही के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है- नियम 16 के तहत नामांकन, नियम 19 के तहत वोटिंग तथा मतदान करने का अंतिम दिन तथा नियम 20 के तहत मतगणना का दिन।

21. अन्तिम निर्णय:-

विभाग अपने स्वयं के प्रस्ताव या आपत्ति पर, भ्रष्ट आचरण या किसी अन्य कारण से परिषद् के किसी भी चुनाव को रद्द एवं एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर एक नया चुनाव कराने की घोषणा कर सकती है जो उन्हें पर्याप्त प्रतीत होता है और इस नियम के तहत विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इन नियमों के इरादे, निर्माण या लागू होने के संबंध में किसी भी प्रश्न पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय:-4

परिषद् की कार्यवाही के लिए नियम

22. परिषद् की बैठक:-

(1) परिषद् की बैठक सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के महीने में होगी।

(2) प्रत्येक बैठक की सूचना निबंधक द्वारा बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले सभी सदस्यों को दी जाएगी।

(3) किसी भी बैठक या बैठक के ऐजेंडे में किए जाने वाले कार्य का एक कार्यक्रम प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेजा जाएगा।

(4) परिषद् की आकस्मिक बैठक अध्यक्ष द्वारा जब भी उन्हें आवश्यक प्रतीत होगा बुलाई जा सकती है परन्तु इसकी सूचना बैठक के पूर्व सभी सदस्यों को देना अनिवार्य होगा।

(5) परिषद् के बैठक में उत्पन्न सभी मामलों का निर्धारण, बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा। मतों के समान होने के स्थिति में अध्यक्ष के वोट अथवा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में, बैठक का संचालन कर रहे सदस्य के वोट के आधार पर मामलों का निर्धारण होगा।

23. बैठक की अध्यक्षता:-

परिषद् के अध्यक्ष द्वारा परिषद् के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे। बैठक का कोरम के लिए न्यूनतम चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है कोरम पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा।

24. बैठक की कार्यवाही:-

परिषद् के प्रत्येक बैठक की कार्यवाही मुद्रित/लिखित दस्तावेज के रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसे अध्यक्ष एवं निबंधक द्वारा सत्यापित, प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रत्येक बैठक के समाप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रत्येक सदस्य को बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

अध्याय:-5

(पंजीकरण के लिए नियम)

25. निबंधित चिकित्सकों के पंजी का संधारण:-

(1) निबंधक, झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निबंधित चिकित्सकों की पंजी इस नियमावली के परिशिष्ट में संलग्न प्रपत्र-4 में अधिनियम में विहित प्रक्रिया के अनुसार संधारित किया जाएगा जिसमें अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम, उसका पता, नियुक्ति एवं योग्यता, जिस तारीख को प्रत्येक योग्यता प्रदान की गई थी इत्यादि दर्ज होगा एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार अभ्यावेदन अथवा सत्यापन उपरान्त चिकित्सकों के निबंधित पते अथवा नियुक्तियों एवं निबंधित योग्यताओं और उपाधियों में परिवर्तन किया जा सकेगा तथा मृत चिकित्सकों का नाम पंजी से हटा दिया जाएगा। निबंधन पंजी में नाम उस क्रम में दर्ज किया जाएगा जिसमें ऐसी प्रविष्टि के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

(2) उक्त नियम 25 में विहित कर्तव्यों के पालन हेतु निबंधक द्वारा निबंधित चिकित्सकों को उनके निबंधित पते अथवा नियुक्ति पते पर पत्र भेजकर, वह व्यवसाय Practice कर रहा है अथवा नहीं एवं उसका आवासीय पता और नियुक्ति में परिवर्तन हुआ है या नहीं की जाँच किया जा सकेगा। यदि ऐसे पत्र का प्रतिवेदन 6 माह के अंदर निबंधित चिकित्सक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त चिकित्सक का नाम पंजी से हटा दिया जाएगा।

परंतु यदि परिषद् पुनः आदेश दे तो संबंधित चिकित्सक का नाम पुनः पंजी में प्रविष्ट किया जा सकेगा।

(3) निबंधन पंजी के प्रत्येक पृष्ठ को निबंधक द्वारा हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जाएगा।

26. पंजीकरण की स्वीकृति:-

(क) स्थायी प्रमाण पत्र:-

कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की पहली, दूसरी या तीसरी अनुसूची में से कोई भी योग्यता है, उस अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्धारित किसी भी शर्त के अधीन, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली में, और सेवा के संबंध में, या झारखण्ड राज्य में चिकित्सक के रूप में अभ्यास करना चाहता है अथवा कर रहा है को इस नियमावली के परिशिष्ट के प्रपत्र-5 में निबंधक को अभ्यावेदन देकर पर्षद के निबंधन पंजी में पंजीकरण के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, चार पासपोर्ट आकार का फोटो और निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जाएगा। निबंधक द्वारा आवेदन की जाँचोपरान्त पंजीकरण के योग्य पाये जाने पर परिशिष्ट के प्रपत्र-6 में एक पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यह पंजीकरण की तिथि से आजीवन वैध होंगे।

(ख) औपबंधिक प्रमाण पत्र:-

कोई भी व्यक्ति जिसने किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता के लिए भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह इंटरनशिप प्रशिक्षण के उद्देश्य से फॉर्म में निबंधक को औपबंधिक पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन पर औपबन्धिक रूप से पंजीकृत होने का हकदार होगा। ऐसे व्यक्ति द्वारा निबंधन पंजी में पंजीकरण के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, चार पासपोर्ट आकार का फोटो और निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जाएगा। निबंधक द्वारा आवेदन की जाँचोपरान्त पंजीकरण के योग्य पाये जाने पर परिशिष्ट के प्रपत्र-7 में एक औपबंधिक पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

27. पंजीकरण से इनकार:-

परिषद किसी भी व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की अनुमति देने से इंकार कर सकती है:-

(क) वैसे व्यक्ति जिसे किसी भी गैर-जमानती अपराध के लिए किसी भी अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है, ऐसी सजा को बाद में उलट या रद्द नहीं किया गया है, और ऐसी सजा को राज्य सरकार के आदेश द्वारा हटाया नहीं गया है।

(ख) वैसा व्यक्ति जिसे किसी पेशेवर गलत आचरण के लिए परिषद की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से उचित जांच के बाद (जिस पर उसे अपने बचाव में सुनने का अवसर दिया गया है और या तो व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से अपना बचाव पक्ष पेश करने का अवसर दिया गया है) को दोषी पाया गया है।

28. निबंधन हेतु निबंधक के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं:-

प्रत्येक व्यक्ति जो निबंधित चिकित्सकों की पंजी में अपने नाम को दर्ज कराना चाहता है:-

(1) उसे निबंधक को संतुष्ट करना होगा कि वह अपेक्षित उपाधि अथवा योग्यता धारण करता है, जैसा की अनुसूची में विहित है।

(2) यदि वह मेडिकल एक्ट के तहत निबंधित है तो-

- (i) उसे निबंधक को निबंधन की तिथि सही सही बतानी होगी तथा,
 - (ii) निबंधक को उपाधि एवं योग्यता के संबंध में सत्य कथन देना होगा कि किस तिथि को उसने उपाधि प्राप्त किया है।
- (3) यदि वह निबंधित नहीं है, तो उसे सही-सही सूचित करना होगा कि वह किस तिथि को अनुसूची में वर्णित उपाधि अथवा योग्यता प्राप्त की है एवं जिसके आधार पर निबंधन होने का दावा कर रहा है।

29. नई उपाधि अथवा योग्यता की पंजी में प्रविष्ट:-

यदि कोई व्यक्ति नई उपाधि अथवा योग्यता प्राप्त करता है, जो निबंधन के समय उपाधि अथवा योग्यता से भिन्न हो, वह पर्षद द्वारा विहित शुल्क के साथ आवेदन कर अपने नाम के सामने नई उपाधि अथवा योग्यता प्रविष्ट करा सकता है जो पूर्व की उपाधि की जगह लेगा अथवा पूर्व की उपाधि के साथ प्रविष्ट होगा। इसके लिए उसे इस नियमावली के परिशिष्ट के प्रपत्र-5 में विहित तरीके से निर्धारित शुल्क के साथ निबंधक के समक्ष आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदन की समीक्षोपरान्त संतुष्ट होने पर निबंधक द्वारा परिशिष्ट के प्रपत्र-8 में अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

30. धोखाधड़ी कर की गई गलत प्रविष्टि का विलोपन:-

निबंधित चिकित्सकों की पंजी में की गई कोई प्रविष्टि जो परिषद् के दृष्टि में धोखाधड़ी से अथवा गलती से प्रविष्ट हो गया हो, को परिषद् के एक लिखित आदेश द्वारा विलोपित किया जा सकेगा।

31. मृत्यु की सूचना एवं पंजी से नाम का विलोपन:-

(1) प्रत्येक मृत्यु निबंधन पदाधिकारी जिसके संज्ञान में निबंधित चिकित्सक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तो वह अविलंब इसकी सूचना आवश्यक दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा ऐसा कागजात जिसे मृत्यु का समय एवं स्थान पता चल सके परिषद् के निबंधक को देगा।

(2) ऐसी सूचना:

(क) जो मृत्यु का प्रमाण पत्र हो अथवा

(ख) अन्य ऐसा मृत्यु का दस्तावेज जिस पर परिषद् भरोसा कर सके परिषद् ऐसे मृत व्यक्ति के नाम को पंजी से हटा सकेगा।

32. निबंधक एवं परिषद् की स्थापना:-

(1) परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से -

(क) निबंधक की नियुक्ति कर सकेगा।

(ख) निबंधक को अवकाश स्वीकृत कर सकेगा एवं उसकी अवकाश अवधि के लिए प्रतिस्थानी की नियुक्ति कर सकेगा।

(ग) परिषद् द्वारा निबंधक अथवा उसके स्थान पर कार्य के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जाएगा जैसा की परिषद् चाहे।

(2) निबंधक द्वारा अधिनियम और इस नियमावली के तहत निर्धारित कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा एवं पत्राचार इत्यादि का प्रभारी होगा और इन नियमों के तहत आवश्यक तरीके से सभी आवश्यक नोटिस जारी कर सकेगा। परिषद् के सचिव के रूप में निबंधक दैनिक कार्यों में वित्तीय लेनदेन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। दैनिक कार्यों से भिन्न वित्तीय लेन देन में परिषद् का अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। निबंधक या निबंधक के रूप में नामित प्राधिकारी न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत होंगे, एवं वह एक वकील की सहायता से परिषद् की ओर से अदालती मामलों में भी प्रतिनिधित्व करेगा।

(3) निबंधक को परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करने एवं परिषद् की बैठक में भाग लेने एवं वक्तव्य देने की अनुमति होगी, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(4) नियम 32 (1) एवं (6) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन लोकसेवक माने जाएंगे।

(5) निबंधक को विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान परिषद् के द्वारा किया जा सकेगा।

(6) परिषद् निम्न विवरण के अनुसार परिषद् के कार्य को सुगमतापूर्वक संचालन के लिए कर्मचारियों की सेवा प्राप्त कर सकेगी, जैसा कि वह इस नियमावली की प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे एवं जैसा परिषद् निर्धारित करें तथा इसके विरुद्ध अनुमान्य संविदा राशि का भुगतान कर सकेगी।

क्रम सं०	पद का नाम	पद का रूप	पदों की संख्या	वेतन/मानदेय	वेतन/मानदेय में वार्षिक वृद्धि	नियुक्ति का स्वरूप	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	अभि०
1	लिपिक	संविदा आधारित सेवा	2	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	संविदा पर	स्नातक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान एवं संबंधित कार्य में न्युनतम 3 वर्षों का कार्यानुभव	
2	लेखपाल	संविदा आधारित सेवा	1	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	संविदा पर	वाणिज्य में स्नातक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान एवं लेखा संधारण की योग्यता एवं न्युनतम तीन वर्षों का कार्यानुभव।	
3	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	संविदा आधारित सेवा	2	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	संविदा पर	स्नातक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान के साथ-साथ डाटा प्रविष्टि, हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टंकन का ज्ञान के साथ-साथ न्युनतम तीन वर्षों का कार्यानुभव	
4	आदेशपाल	संविदा आधारित सेवा	1	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	संविदा पर	10वीं उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य के लिए न्युनतम 3 वर्षों का कार्यानुभव	
5	स्वीपर	संविदा आधारित सेवा	1	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	वित्त विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संविदा के लिए निर्धारित दर पर	संविदा पर	साक्षर संबंधित कार्य में न्युनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव	

नोट:- उपरोक्त सभी संविदा आधारित सेवा की उम्र सीमा झारखण्ड सरकार के नियमानुसार होगी।

(क) पदों का स्वरूप:-

उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित सेवा के लिए होंगे और इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन एक वर्ष की संविदा आधारित सेवा के लिए किया जाएगा। परिषद में आवश्यकता बने रहने पर आवश्यकतानुसार चयनित उम्मीदवारों के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर संविदा की अवधि प्रत्येक 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। परिषद अन्तर्गत सेवा प्राप्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान परिषद अन्तर्गत प्राप्त प्राप्तियों से किया जाएगा।

(ख) सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

परिषद में कर्मियों का संविदा आधारित सेवा प्राप्त करने हेतु चयन परिषद् के द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किए गए अनुशंसा के आधार पर निबंधक द्वारा की जाएगी। परिषद अन्तर्गत निम्नानुसार एक चयन समिति का गठन किया जाएगा:-

चयन समिति के अध्यक्ष - परिषद के अध्यक्ष

चयन समिति के सचिव - परिषद के निबंधक

सदस्य - परिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य

सदस्य - परिषद द्वारा प्रासंगिक क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत सदस्य

सदस्य - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य।

चयन समिति द्वारा कर्मियों का संविदा पर सेवा प्राप्त करने के लिए विज्ञापन, उम्र सीमा, आरक्षण एवं अन्य शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन किया जाएगा।

(ग) अवकाश:-

झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद के अन्तर्गत सेवा प्राप्त संविदा कर्मचारी झारखण्ड सरकार के संविदा कर्मचारियों के लिए वित्त विभागीय परिपत्र 4569 दिनांक-05.07.2022 एवं एतद् संबंधित समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अवकाश का उपभोग निबंधक द्वारा स्वीकृति के उपरांत कर सकते हैं।

(घ) यात्रा व्यय:-

परिषद के कर्मचारी झारखण्ड सरकार के समकक्ष पदों के संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित यात्रा व्यय के लिए पात्र होंगे।

(ड.) सेवा में बने रहने के लिए अधिकतम उम्र सीमा:-

सामान्य परिस्थिति में परिषद में सेवा प्राप्त कोई भी कर्मचारी अधिकतम 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपनी सेवा दे सकता है। विशेष परिस्थिति में यदि परिषद में किसी कर्मचारी के होने की अत्यंत आवश्यकता होती है तो संबंधित कर्मचारी की कार्य क्षमता एवं उपयोगिता का आकलन करते हुए एक वर्ष का अतिरिक्त अवधि विस्तार दिया जा सकता है ऐसा विस्तार किसी कर्मचारी को अधिकतम 3 बार दिया जा सकता है। परन्तु इसपर निबंधक द्वारा परिषद की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(च) सेवा से त्यागपत्र:-

परिषद का कोई भी कर्मचारी निबंधक को संबोधित इस आशय की एक माह की लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, परन्तु ऐसा त्यागपत्र उसकी स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा। आवश्यक सूचना नहीं दिए जाने पर उसे एक माह के समतुल्य परिलब्धियों के बराबर राशि जमा करना होगा अथवा त्याग किया जाएगा।

(छ) सेवा की समाप्ति:-

परिषद द्वारा किसी भी कर्मचारी की सेवा उसे एक माह की सूचना देकर एवं उसे अपने बचाव पक्ष का उचित अवसर देते हुए समाप्त की जा सकती है। एक माह की पूर्व सूचना नहीं दिए जाने पर उत्पन्न परिस्थिति में संबंधित कर्मचारी एक माह के समतुल्य परिलब्धियाँ पाने का हकदार होगा।

अध्याय:-6**(लेखा के लिए नियम)****33. कोषाध्यक्ष:-**

परिषद के सदस्यों के बीच में से किसी एक सदस्य को परिषद का कोषाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। कोषाध्यक्ष का झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद निधि पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा। परिषद के लिए बहीखाता का रखरखाव, प्राप्तियों का प्रबंधन, बजट तैयार करना, वित्तीय प्रतिवेदन एवं सभी प्रकार के वित्तीय कार्यों का संचालन कोषाध्यक्ष की देखरेख में किया जाएगा एवं उनका इस पर पूर्ण नियंत्रण होगा।

कोषाध्यक्ष को विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान परिषद् द्वारा किया जायेगा।

34. प्राप्तियाँ:-

परिषद के अन्तर्गत सभी प्राप्तियाँ परिषद में उपयोग के लिए ही होंगे। परिषद के अन्तर्गत उपलब्ध एवं प्राप्तियों को झारखण्ड चिकित्सा परिषद के नाम से ही निवेशित अथवा जमा किए जाएंगे।

35. खातों एवं अन्य पंजियों का रखरखाव:-

परिषद अन्तर्गत लेखा एवं वित्त प्रबंधन के लिए निम्न पंजियों का संधारण किया जाएगा:-

- (क) रोकड़ बही
- (ख) लेखा बही
- (ग) संपत्ति पंजी

- (घ) स्टॉक पंजी
- (ङ.) पावती पत्र
- (च) अनुदान के लिए पंजी
- (छ) पुर्जा संचिका
- (ज) उपस्थिति पंजी
- (झ) वेतन पंजी
- (ञ) छुट्टी खातों का पंजी
- (ट) अन्य पंजी जो आवश्यक हों

प्रतिवर्ष उपरोक्त पंजियों एवं अभिलेखों से कोषाध्यक्ष के निर्देशन में वार्षिक लेखा तैयार किया जाएगा।

36. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के नवंबर-दिसम्बर महीने में कोषाध्यक्ष द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण तैयार किया जाएगा एवं इसके आधार पर परिषद के दायित्वों एवं उद्देश्यों को पूर्ण किए जाने के लिए योजनाओं पर विचार करते हुए अगले वित्तीय वर्ष का एक अनुमानित आयव्यय का प्राक्कलन/बजट तैयार किया जाएगा एवं परिषद के अगली बैठक में रखा जाएगा। परिषद द्वारा इसपर विचार करते हुए सहमति दी जाएगी।

37. वर्ष के दौरान स्वीकृत प्राक्कलन/बजट के अतिरिक्त किसी भी नये प्रयोजन अथवा स्वीकृत प्रयोजन से अधिक के व्यय के लिए आकस्मिकता को देखते हुए व्यय पर अध्यक्ष द्वारा औपबंधिक स्वीकृति दी जा सकेगी परन्तु इसपर स्वीकृति के लिए परिषद के अगले बैठक में रखा जाएगा।

38. किसी भी प्रकार के शुल्क की प्राप्ति के लिए एक मुद्रित रसीद फार्म का उपयोग किया जाएगा।

39. परिषद अन्तर्गत शुल्क अनुदान अथवा अन्य किसी भी श्रोत से प्राप्त राशि परिषद के बैंक खाते में जमा कर रखी जाएगी।

40. परिषद में निर्धारित प्रपत्र में एक रोकड़ पंजी का संधारण किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का लेन देन होते ही सभी प्राप्तियाँ और भुगतानों को आवश्यक विवरण के साथ दर्ज किया जाएगा। रोकड़ पंजी प्रतिदिन संधारित किए जाएंगे एवं इसपर कोषाध्यक्ष द्वारा लेनदेन का सत्यापन करते हुए प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

41. रोकड़ पंजी को सावधानी पूर्वक संधारित किया जाएगा एवं प्राप्ति रसीद एवं भुगतान भाउचरों, उप वाउचरों के साथ लेखा परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

42. भुगतान के बाद सभी वाउचरों एवं उप वाउचरों पर पेड एण्ड कैंसल्ड की मुहर लगाई जाएगी एवं कोषाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

43. निबंधक द्वारा रुपये 20000 बीस हजार का अस्थायी अग्रिम की अनुमति दी जा सकेगी। इस राशि का समायोजन प्रत्येक माह समर्पित विपत्रों द्वारा की जा सकेगी।
44. निबंधक वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से प्रावधानित बजट अथवा प्राक्कलित राशि किसी भी भुगतान अथवा सामान खरीद के लिए प्राधिकृत होंगे।
45. प्रत्येक वर्ष किसी योग्य चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा वर्ष में एक बार पर्षद का लेखा परीक्षण कराया जाएगा एवं तदुपरान्त समर्पित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन को पर्षद के अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।
46. (i) परिषद् को प्राप्त शूल्क की राशि एवं अन्य किसी भी श्रोत से प्राप्त अनुदान/राशि के संधारण के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में खाता खोला जाएगा।
- (ii) परिषद् को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को संबंधित कोषागार में पी0एल0 खाता खोलते हुए संधारित किया जाएगा।
- (iii) परिषद के खाते का संचालन निबंधक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त हस्ताक्षर के लिए अध्यक्ष प्राधिकृत रहेंगे।

अध्याय:-7

(चिकित्सकों द्वारा व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता से संबंधित शिकायतों का निस्तारण एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियम)

(MEDICAL COUNCIL OF INDIA के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulations, 2002 एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार)

47. **अनुशासन समिति:-** चिकित्सकों द्वारा व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता से संबंधित शिकायतों का निस्तारण एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए परिषद अन्तर्गत निम्नानुसार एक अनुशासन समिति होगी-

- (क) अध्यक्ष - परिषद द्वारा नामित
- (ख) सदस्य - परिषद द्वारा नामित एक विधि विशेषज्ञ
- (ग) सदस्य- प्रासंगिक विशेषता में प्रख्यात चिकित्सा विशेषज्ञ जिस विषय से संबंधित शिकायत है।
- (घ) सदस्य - आई एम ए झारखण्ड चैप्टर द्वारा नामित एक अनुभवी प्रतिनिधि

48. परिषद अथवा अनुशासन समिति द्वारा किसी भी पंजीकृत चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर निर्धारित तरीके से उचित जाँच के बाद यदि किसी चिकित्सक को परिषद अथवा अनुशासन समिति द्वारा दोषी पाया जाता है तो पर्षद -

- (क) ऐसे व्यक्ति को चेतावनी पत्र जारी कर सकता है।
- (ख) ऐसे व्यक्ति का नाम निबंधन पंजी से स्थायी रूप से अथवा एक निर्धारित समय के लिए हटा सकता है।
- स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक को कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि:-
- (अ) उसे एक अपराधिक अदालत द्वारा एक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।
- (आ) परिषद की राय में उसका आचरण चिकित्सा पेशे के संबंध में बदनाम है, विशेष रूप से, पर्षद द्वारा या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा या इस संबंध में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी आचार संहिता के तहत।
- (ग) परिषद पर्याप्त कारण बताए जाने पर, किसी भी बाद की तारीख को निर्देश दे सकती है कि नियम 48 के तहत हटाए गए चिकित्सक का नाम ऐसी शर्तों पर और निर्धारित भुगतान पर रजिस्टर में फिर से दर्ज किया जाएगा।
- (घ) परिषद अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, उचित जाँच के बाद और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि को रद्द या बदल सकती है, यदि उसकी राय में परिषद की, ऐसी प्रविष्टि कपटपूर्वक या गलत तरीके से की गई थी।

49. पंजीकृत चिकित्सक के विरुद्ध चिकित्सा लापरवाही/पेशेवर कदाचार की शिकायत की जाँच के लिए मानदंड-

- (1) झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद में प्राप्त किसी भी पंजीकृत चिकित्सक के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही/ पेशेवर कदाचार की सभी शिकायतों की जांच सर्वप्रथम परिषद के निबंधक के स्तर से संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं अध्यक्ष के परामर्श से की जाएगी जिससे शिकायत संबंधित है और यदि उस स्तर पर यह राय बनती है कि प्रथम दृष्टया चिकित्सा लापरवाही या पेशेवर कदाचार का कोई मामला नहीं बनता है, तो उसे एक आदेश से तत्काल निपटाया जा सकता है।
- (2) यदि आवश्यक हो, तो निबंधक द्वारा मामले का फैसला करने से पहले पक्षों को सुन सकते हैं। यदि निबंधक द्वारा यह राय बनती है कि मामले को इस तरह से निपटाया नहीं जा सकता है और इसके लिए विस्तृत जाँच की आवश्यकता है, ऐसे मामलों को सुनवाई के लिए अनुशासन समिति के पास भेजा जाएगा।
- (3) निबंधक अथवा अनुशासन समिति द्वारा निर्धारित सुनवाई की तारीख या सुनवाई स्थगित होने पर किसी अन्य तारीख को संबंधित पार्टियों को परिषद की अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है।
- (4) जहां शिकायतकर्ता ऐसे दिनों में उपस्थित होने में विफल रहता है, अनुशासन समिति अपने विवेक से या तो चूक के लिए शिकायत को खारिज कर सकती है या शिकायत के प्रकृति के आधार पर निर्णय ले

सकती है, जहाँ विरोधी पक्ष सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, ऐसे मामले में अनुशासन समिति एकतरफा निर्णय ले सकती है।

(5) जांच के निर्णय को परिषद के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जाता है और इसपर निर्णय लेते हुए संबंधित पक्षों को और अन्य को आवश्यकतानुसार सूचित किया जाएगा।

50. शिकायत में निहित विवरण:-

परिषद को प्राप्त किसी भी शिकायत में निम्नलिखित विवरण होना आवश्यक है-

- (क) शिकायतकर्ता का नाम, पता और शिकायत का विवरण
- (ख) विरोधी पक्ष या पार्टियों का नाम, पता एवं विवरण कम से कम इतना विवरण जिससे पता लगाया जा सके अथवा संपर्क किया जा सके।
- (ग) शिकायत से संबंधित तथ्य, कार्रवाई का कारण कब उत्पन्न हुआ और शिकायत के आधार या कारण क्या हैं।
- (घ) शिकायत के समर्थन में दस्तावेज यदि कोई हो
- (ङ.) शिकायतकर्ता द्वारा वांछित राहत/कार्रवाई
- (च) शिकायतकर्ता द्वारा एक शपथपत्र जिसमें अन्य विवरण के साथ यह स्पष्ट रूप से वर्णित हो की शिकायत सत्य है एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर नहीं किया जा रहा है।

51. किसी भी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जबतक कि यह लिखित रूप में न हो और इसे करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित न हो। निबंधक द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाएगा, सत्यापन के दौरान गुमनाम अथवा छद्मनामसे किए गए शिकायतों को खारिज कर दिया जाएगा।

52. परिषद द्वारा ऐसे शिकायतों को खारिज कर दिया जाएगा जो झारखण्ड राज्य में निबंधित अथवा पेशा करने वाले चिकित्सक से संबंधित नहीं हैं।

अध्याय:-8

(अन्यान्य प्रावधान)

53. प्रवासन/स्थानान्तरण:-

किसी निबंधित चिकित्सक द्वारा यदि किसी अन्य चिकित्सा परिषद में प्रवासन अथवा स्थानान्तरण का लिखित अनुरोध निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा तो इसपर विचार किया जाएगा एवं निबंधक द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति होने पर संतुष्ट होने पर "अनापत्ति प्रमाण पत्र" निर्गत किया जाएगा।

54. अच्छी स्थिति का प्रमाण पत्र:-

निबंधक के समक्ष किसी निबंधित चिकित्सक द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच इत्यादि लंबित नहीं है से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए विहित प्रक्रिया से निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर निबंधक द्वारा

ऐसा प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। यह प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए वैध होगा।

55. निबंधन की अनिवार्यता:-

झारखण्ड राज्य में किसी भी पद धारक एवं अभ्यास करने वाले चिकित्सकों को झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। वैसे चिकित्सक जो अन्य राज्य चिकित्सा परिषद् से निबंधित हैं एवं झारखण्ड राज्य क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं अथवा प्रैक्टिस कर रहे हैं को भी झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा परन्तु ऐसे चिकित्सक जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अन्तर्गत पंजीकृत हैं को पुनः झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है परन्तु उन्हें इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा।

56. अनिबंधित व्यक्ति को किसी खास नियुक्ति पर रोक:-

सरकार के अधीन किसी पद पर निबंधित चिकित्सक के अतिरिक्त कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकेगा एवं सरकार द्वारा विशेष स्वीकृति इसका अपवाद होगा।

57. चिकित्सा पंजी का प्रकाशन एवं उपयोग:-

(1) निबंधक द्वारा समय-समय पर परिषद् के द्वारा निर्धारित निश्चित तिथि तक उस समय तक निबंधन पंजी में संधारित निबंधित चिकित्सकों के नामों की सही सूची का मुद्रण एवं प्रकाशन करेगा, जिसमें

(क) निबंधन पंजी में संधारित सभी नामों का वर्णानुक्रम नाम शामिल होगा।

(ख) निबंधन पंजी में संधारित सभी नामों का निबंधित पता अथवा नियुक्ति शामिल होगी।

(ग) उक्त प्रत्येक व्यक्ति की निबंधित उपाधि एवं योग्यता एवं उक्त उपाधि दिए जाने की तिथि एवं योग्यता प्राप्त करने की तिथि अंकित होगा।

(2) प्रत्येक वह वर्ष जिसमें ऐसी सूची का प्रकाशन नहीं होगा, उस वर्ष निबंधक परिषद् द्वारा निर्धारित निश्चित सीमा तक एक पूरक सूची का मुद्रण एवं प्रकाशन करेगा जिसमें

(क) उपरोक्त कंडिका (1) (क) से (ग) में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप उन व्यक्तियों का नाम अंकित होगा जिनका नाम ऐसी पूरक सूची प्रकाशित किए जाने के वर्ष में पंजी में शामिल हुआ हो।

(ख) उन व्यक्तियों का नाम भी शामिल होगा जिनका नाम पंजी से उस वर्ष हटाया गया हो।

58. निरसन एवं व्यावृत्ति:-

- (1) नियमावली के अध्याधीन कार्यकलाप में मतांतर/भ्रांति होने पर विभाग से प्राप्त परामर्श/निदेश के आलोक में ही कार्रवाई की जा सकेगी।
- (2) नियमावली के प्रावधानों में आवश्यकतानुसार राज्य सरकार समय-समय पर संशोधन कर सकेगी।
- (3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से पूर्व की सभी अधिसूचना/संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

अनुसूची - I**झारखण्ड राज्य चिकित्सा पंषद की शुल्क संरचना**

क्रम संख्या	शुल्क का ब्योरा	राशि
1.	औपबंधिक पंजीकरण	1000/-
2.	स्थायी पंजीकरण	2000/-
3.	विदेशी औपबंधिक पंजीकरण	10100/-
4.	विदेशी स्थायी पंजीकरण	20100/-
5.		Registration subject to confirmation of authenticity from previous state council Candidates whose verification has been done earlier are required to pay Rs.10100/- and who were registered by any state medical council without verification has been done to pay Rs.20100/- Registration fees subject to reply from previous state council).
6.	विदेशी स्थानांतरण पंजीकरण	700/- (A delay fine for registration of PG degrees @ Rs.200/- per year per degree)
7.	अतिरिक्त योग्यता प्रविष्टि	1000/-
8.	अनापत्ति प्रमाण पत्र	500/-
9.	अच्छी स्थिति प्रमाण पत्र	1000/-
10.	डुप्लीकेट औपबंधिक प्रमाण	2000/-
11.	डुप्लीकेट स्थायी प्रमाण पत्र	1000/-

इसमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 17.04.2023 को मद संख्या 4 के रूप में प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव ।

Appendix

FORM NO. - 1

(Register Showing particulars of the Members of the Council)

(See Rule 5)

Name	Address	Whether nominated or elected, and, in the case of elected members, by whom elected	Tenure	Date of commencement of tenure	The date on which the term is to expire in ordinary course.	If the appointment terminates before the due date mentioned in column 6, then the date and reason of earlier termination. (See section 10 & 11)
1	2	3	4	5	6	7

FORM NO.- 2

(See Rule- 16)

Nomination Paper.

Nomination Paper.

1. Name of candidate
2. Father's Name.
3. Age.
4. Nature of qualification under section 4.
5. Address.
6. Signature of proposer
7. Signature of seconder.

*Returning Officer.***INSTRUCTIONS.**

Nomination papers which are not received by the Returning Officer before.....on the day of..... Shall be invalid.

FORM No.-3

(See Rule 19 ¼ [k½

VOTING PAPER

Counterfoil	Serial Number of voting paper.		
Serial Number of voting paper.	One/Two member (s) is/are to be elected To the Council by the persons entered in the Electoral Roll.		
-----	Serial number of candidates duly nominated.	Names and address of candidates duly nominated.	Vote.
1	2	3	4
For elections under clauses (c) to (d) of section 4. I hereby declare that my name appears on the Electoral Roll. Signature and place of residence.			

FORM NO.- 4

Register of Registered Practitioners

(See rule 25)

Serial no.	Date of Registration	Name	Address or Appointment	Qualifications and dates thereof.	Date and reason of removal Date. Section of the Act under which the name is removed.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

FORM NO. -5

(Application for Registration along with declaration)

(See rule-

APPLICATION FOR REGISTRATION

To,
The Registrar
Jharkhand Council of Medical Registration
Ranchi

Sir,
I request that my name may be entered in the Register of Registered Medical Practitioners, maintained by the Jharkhand Council of Medical Registration under Section 16 of the Bihar Medical Act 1916, adopted by the Government of Jharkhand. The Fee of Rs. 1000.00 (One Thousand) for Provisional / Rs. 2000.00 (Two Thousand) for Permanent Registration is enclosed Vide Demand Draft No. _____

Name of the Bank issue _____

Date of issue _____ payable at Ranchi.

(Please fill in Capital Letters only)

Name :

Father's Name :

Date of Birth : Sex : ☐ M ☐ F

Qualification MBBS/MD/MS/PhD/ MCH. Etc.	Year of Passing	Institute	University	Previous Medical Council where registered

Address (Permanent) :

Address (Present) :

Phone No./ Mobile No.

e-mail: in Capital letter Small letter

Reason for Transfer of Registration:

Ranchi, Dated

Yours faithfully

()



JHARKHAND STATE MEDICAL COUNCIL

DECLARATION

1. I solemnly pledge myself to consecrate my life to Service of humanity.
2. I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception.
3. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient.
4. I will practice my profession with conscience and dignity.
5. The health of my patient will be my first consideration.
6. I will respect the secrets, which are confined in me.
7. I will maintain by all means in power, the honour and noble traditions of medical profession.
8. I will treat my colleagues with all respect and dignity.
9. I shall abide by the Code of medical ethics as enunciated in the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002.

I make these promise solemnly, freely and upon my honour.

Signature

Name

Place

Address(Permanent).....

Date

FORM NO. - 6

(Certificate of Registration)

(See rule -26 ¼d½)

The Jharkhand Council of Medical Registration

CERTIFICATE OF REGISTRATION



JHARKHAND MEDICAL COUNCIL OFFICE

Certificate Number

The _____

NAME WITH FATHER'S NAME	<u>PERMANENT</u> PRESENT	ADDRESS AND APPOINTMENT IF IN SERVICE	DATE AND PLACE OF REGISTRATION	QUALIFICATIONS AND DATES THEREOF

It is hereby certified that the entries in the above column is as per the Register of Registered Practitioners.

REGISTRAR



Every Registered Medical Practitioner should be careful to send to the Registrar immediate notice of any change in his address and also to answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto in order that his correct address may be duly entered in the Register of Registered Practitioners, otherwise by section 16, sub-section (2) of the Bihar and Orissa Medical Act 1916*, such Practitioners is liable to have his name erased from the Register of Registered Practitioners.

* (ADOPTED BY GOVERNMENT OF JHARKHAND)

FORM NO. – 7

(Certificate of Provisional Registration)

(See rule –26 ¼ [K])

PLEASE BRING THIS PROVISIONAL REGISTRATION
CERTIFICATE FOR CANCELLATION AT THE TIME OF
PERMANENT REGISTRATION.

PROVISIONAL

THIS CERTIFICATE IS VALID DURING
INTERNSHIP ONLY & NOT FOR APPOINTMENT,
POST-GRADUATION ETC.

The Jharkhand Council of Medical Registration

CERTIFICATE OF REGISTRATION



Provisional Reg. No.....
VALID FOR ONE YEAR AND LIMITED TO
COMPULSORY ROTATING INTERNSHIP
AT RIMS, Ranchi

JHARKHAND MEDICAL COUNCIL OFFICE

The _____

NAME WITH FATHER'S NAME	PERMANENT PRESENT	ADDRESS AND APPOINTMENT IF IN SERVICE	DATE AND PLACE OF REGISTRATION	QUALIFICATIONS AND DATES THEREOF

It is hereby certified that the entries in the above column is as per the Provisional Register of Registered Practitioners.

REGISTRAR



Every Registered Medical Practitioner should be careful to send to the Register immediate notice of any change in his address and also to answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto in order that his correct address may be duly entered in the Register of Registered Practitioners, otherwise by section 16, sub-section (2) of the Bihar and Orissa Medical Act 1916*, such Practitioners is liable to have his name erased from the Register of Registered Practitioners.

*(ADOPTED BY GOVERNMENT OF JHARKHAND)

FORM NO.- 8

(See rule -29)

(Additional Medical Qualification Certificate)

The Jharkhand Council of Medical Registration

ADDITIONAL MEDICAL QUALIFICATION

REGISTRATION CERTIFICATE



JHARKHAND MEDICAL COUNCIL OFFICE

Ranchi, Dated _____

Certificate Number _____

NAME WITH FATHER'S NAME	<u>PERMANENT</u> PRESENT	ADDRESS AND APPOINTMENT IF IN SERVICE	DATE AND PLACE OF REGISTRATION	QUALIFICATIONS AND DATES THEREOF

It is hereby certified that the entries in the above column is as per the Register of Registered Practitioners.

REGISTRAR



Every Registered Medical Practitioner should be careful to send to the Register immediate notice of any change in his address and also to answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto in order that his correct address may be duly entered in the Register of Registered Practitioners, otherwise by section 16, sub-section (2) of the Bihar and Orissa Medical Act 1916*, such Practitioners is liable to have his name erased from the Register of Registered Practitioners.
